न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 09/2020

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

स्वर्गीय डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला–सिरोही के कायम मुकाम वारिसानः–

1. बनाराम पुत्र डाया जी, जाति–कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
2. हरजीराम पुत्र डाया जी, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील– सिरोही
3. मोतीराम पुत्र डाया जी, जाति–कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
4. राउदेवी पुत्री डाया जी पत्नी ओबाराम, जाति–कलबी, निवासी–बग, तह. सिरोही
5. जतूदेवी पुत्री डाया जी पत्नी पूनमाराम, जाति– कलबी, निवासी– बग, तहसील व जिला–सिरोही
6. सोनीदेवी पत्नी डाया जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10–00 बीघा (जिसके दर्तमान खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9.1000 हेक्टयर में हिस्सा 81/455 किस्म बंजर है) भूमि का गैर खातेदारी तौर पर डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को आवंटन हुआ था। यह कि खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2061–2064 तक के अनुसार अप्रार्थी/आवंटिती द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नही की है व न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी/आवंटिती का संवत 2061–2064 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी/आवंटिती द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को जारी नोटिस उसकी मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त होने पर प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा अप्रार्थी डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने एवं पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अप्रार्थी डाया पुत्र मोटा जी कलबी के कायम मुकाम वारिसान को सम्मन बनाम कायम मुकाम जारी किये गये। अप्रार्थी डाया पुत्र मोटा जी कलबी के कायम मुकाम वारिसान

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(अप्रार्थी संख्या 1 से 6) की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर बाद सुनवाई दिनांक 15.2.2023 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को पक्षकार बनाया जाकर रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा (जिसके नये खसरा संख्या 152 रकबा 9.100 हेक्टेयर में हिस्सा 81/455 किस्म बंजर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।) भूमि का आवंटन गैर खातेदारी तौर पर हुआ था। अप्रार्थीगण/आवंटि डाया का संवत 2061–2064 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थीगण/आवंटि द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352–356 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9–1000 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 1–6200 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा है) आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 27/910 खातेदारी हक हिस्सा है। उक्त हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण का हक अधिकार व कब्ज काश्त उनके पिता व पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी के जरिये गत 55 वर्षो से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्वक व बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है, जो रकबा 1.6200 हेक्टेयर है। ग्राम पादरुखेडा में पुराने मूल खसरा संख्या 32 एक बहुत बडे चक के रुप में राजकीय बिलानाम कृषि भूमि रही है जिसमें अलग अलग हिस्सों पर कई काश्तकारों के कई वर्षो पुराने कब्जे चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 32 में से रकबा 1.6200 हेक्टेयर कृषि भूमि पर भी अप्रार्थीगण के पिता व पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार पिछले कई वर्षो से लगातार रहा है, जिससे डाया पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त भूमि के आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के समक्ष आवेदन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं मौके का भौतिक सत्यापन करके उक्त 10 बीघा अर्थात् 1.6200 हेक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश क्रमांक 1311 दिनांक 18.4.1975 से डाया पुत्र मोटा जी कलबी, निवासी– सियाकरा को आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 26.11.2001 के जरिये खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा भूमि डाया पुत्र मोटा जी कलबी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 152 रकबा 1.6200 हेक्टेयर है। यह कि आवंटन के बाद डाया पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने के लिये दिन रात मेहनत की व भूमि सुधार में काफी रकम खर्च की है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि आवंटन होने के बाद उक्त भूमि पर चारों ओर कांटो की बाड़ की है, ताकि उक्त कृषि भूमि में आवारा पशु आदि प्रवेश कर फसल को नष्ट नही कर सके। आवंटिती डाया पुत्र मोटा जी कलबी एवं इनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर हर वर्ष बरसाती फसल बोई जाती है, लेकिन विगत 5–6 वर्षो पूर्व अकाल होने और कोरोना जैसी माहमारी के कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

फसल की बुवाई नही कर सके। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता व पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे है और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है और आवंटित कृषि भूमि में बरसाती फसल हर वर्ष बोई जाती है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा केवल उक्त चार वर्षो की खसरा गिरदावरी ही प्रस्तुत की गई है, लेकिन बरसाती फसलों का अंकन पटवारी द्वारा नही किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा हर वर्ष फसल बोई जाती है। उक्त भूमि आवंटन के बाद आवंटिती डाया पुत्र मोटा जी कलबी और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के सभी नियमों का पालना किया है। अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम का नही किया है। उक्त नियमों के नियम 14(4)के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण कृषि भूमि पर फसल की बुवाई व जुताई की गई है। मौके पर अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर लगातार एवं निर्बाध रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज नही किया गया है तो इस हेतु अप्रार्थीगण दोषी नही है। खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व संबंधित पटवारी का है। जबकि विधि अनुसार अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक बन चुके है एवं उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार अंकन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि के लिये गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित नही होने से अप्रार्थीगण के उक्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न होती है। अप्रार्थीगण उनके नाम से उक्त भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है एवं राजस्व अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि निश्चित समयावधि गुजरने के बाद उक्त कृषि भूमि की श्रेणी गैर खातेदारी से खातेदारी में अप्रार्थीगण के पिता/पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित करते, लेकिन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों ने ऐसा नही कर अप्रार्थीगण के साथ कुठाराघात किया है। यह कि उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थीगण के पिता/पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी को आवंटन होने से इतनी लम्बी समयावधि गुजर जाने के बाद भी राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया गया जो न्यायोचित नही है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटन नियमों के सभी नियमों व शर्तो का पालन किया है। उक्त आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र तब ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जब भूमि का आवंटन कपटपूर्वक या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया हो या नियमों के विरुद्ध आवंटन किया हो या आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। जबकि उक्त कृषि भूमि का आवंटन न तो विधि विरुद्ध तरीके से हुआ है और न ही कोई आवंटन की शर्त भंग हुई है। यह कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(1) के अनुसार आवंटिती को आवंटित भूमि पर 10 वर्षो के बाद खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है। अप्रार्थीगण और उनके पिता/पति डाया पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त आवंटित कब्जे–काश्त की भूमि पर मेहनत कर एवं काफी रकम खर्च कर उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति है एवं उक्त आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना भरण पोषण करते है। विधि अनुसार आवंटन के 10 वर्षो बाद उक्त आवंटित भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार कृषक हो चुके है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के आदेश दिनांक

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

18.4.1975 के द्वारा ग्राम पादरुखेडा के पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा भूमि का श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा आवंटित भूमि, नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 26.11.2001 से श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का, सनपुर की मौका फर्द दिनांक 10.8.2020 के अनुसार आवंटित भूमि पर बबूल खडे है, जहां पर खेती किया जाना प्रतीत नही होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064, 2063 से 2066 व 2071–2074 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि के मौके पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नही रहा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से भी जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त रहा हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही कब्जा है तथा न ही अप्रार्थीगण ने इस संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो अप्रार्थीगण के कब्जे–काश्त का समर्थन करते हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 105/32 रकबा 10.00 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9.1000 हेक्टेयर किस्म बंजर में हिस्सा 81/455 दर्ज है) भूमि का श्री डाया पुत्र मोटा जी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 17 दिसम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही